ई–मेल/फैक्स
स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/ अनु0–1035/2014–सा0 प्र0– /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त,
मगध प्रमंडल, गया।

पटना–15, दिनांक : सितम्बर, 2015

विषयः– मुख्यालय छोड़ने के संबंध में ।

प्रसंगः– आपका पत्र संख्या–458/गो0, दिनांक–16.09.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010) को न्यायालीय कार्यों के लिए दिनांक 14.09.2015 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा इसकी सूचना निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को दी गयी है या नहीं । पत्र से यह भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि उक्त पत्र द्वारा यह अनुमति माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित किस आदेश के अनुपालन की बाध्यता के संदर्भ में दी गयी है।

2. विभागीय परिपत्र संख्या–336 दिनांक 07.01.2015 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से यह निदेश निर्गत है कि निम्नलिखित अवसरों पर प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा राज्य से बाहर की यात्रा को छोड़कर (जिसकी स्वीकृति मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दी जायेगी) जिला पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जायेगीः–

(i) निजी कार्य से राज्य के अन्दर भ्रमण; (ii) आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश, सार्वजनिक एवं साप्ताहिक अवकाश के उपभोग हेतु उनके स्तर से दी गयी स्वीकृति पर; और (iii) माननीय उच्च न्यायालय/विधानमंडलीय सत्रों/माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/विभिन्न विभागों द्वारा आहूत विभागीय बैठकों तथा सरकारी कार्य एवं प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु ।

2.1 निदेश में संदर्भित अनुमति के संबंध में अपरिहार्य है कि स्वीकृति आदेश में दैनिक प्रभार की व्यवस्था स्पष्ट होगी और इसकी सूचना फैक्स और ई–मेल के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को अविलम्ब दी जायेगी। साथ ही, यह प्रतिषेध भी है कि अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति विधि व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की आवश्यकता पर सम्यक् विचारोपरान्त ही दी जाय।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन वादों के लिए संबंधित सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक के समक्ष जिलों में ही प्रतिशपथ पत्र शपथपूर्वक हस्ताक्षरित किये जा सकते हैं, जबतक कि इससे प्रतिकूल कोई विशिष्ट निदेश न हो ।

उपर्युक्त आशय का निदेश विभागीय पत्रांक–5710 दिनांक 15.04.2015 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी पुलिस महानिरीक्षकों के बीच परिचारित हुआ है । इसकी प्रति सभी विभागों/सभी जिला पदाधिकारियों और सभी पुलिस अधीक्षकों को दी गयी है।

4. प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक–xxxiv-7/2014–458/गो0 दिनांक–16.09.2015 (जिससे जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को न्यायालीय कार्यों से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गयी है) से यह स्पष्ट नहीं है कि वह विशिष्ट आदेश क्या था जिसके अनुपालन के लिए विभागीय पत्रांक–5710 दिनांक 15.04.2015 से परिचारित व्यवस्था **(जिला में ओथ लेने की व्यवस्था)** के विरुद्ध यह अनुमति दी गयी है।

5. उल्लेखनीय है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के संदर्भ में राज्य में दिनांक–09.09.2015 से आदर्श आचार संहिता के प्रभावी हो जाने के फलस्वरुप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991की धारा–20 'क' **(छायाप्रति संलग्न)** का अनुपालन भी जिला पदाधिकारियों /चुनाव कार्य से सम्बद्ध अन्य पदधारकों द्वारा मुख्यालय छोड़ने के मामलों में अनिवार्य हो गया है। अतएव, मुख्यालय छोड़ने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग को तत्संबंधी संसूचन एवं इस हेतु आयोग की सहमति भी अपेक्षित है।

6. उपर्युक्त के आलोक में यथाशीघ्र जानकारी देने की कृपा की जाय कि जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के किस विशिष्ट आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5710 दिनांक 15.04.2015 से परिचारित व्यवस्था **(जिला में ओथ लेने की व्यवस्था)** के विरुद्ध मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गयी है।

साथ ही, ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1991 की धारा–20 'क' का अनुपालन भी राज्य में आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि में कृपया अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

<u>ई–मेल/स्पीड पोस्ट</u>

<u>विशेषदूत</u>

ज्ञापांकः–1/ अनु0–1035/2014–सा0प्र0–1444/पटना–15,दिनांकः– 28 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः – सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/9/2015

सरकार के अवर सचिव ।

पत्रांक 1/अनु0-1041/2014 सा0 प्र0 326

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार

प्रधान सचिव

सेवा में,

बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारी

दिनांक 07 /जनवरी 2015

विषय :- मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग) के पत्रांक- 8204 दिनांक- 19.06.1991, पत्रांक-11852 दिनांक 24.08.2012, पत्रांक-3386 दिनांक- 26.02.2013 तथा पत्रांक- 9182 दिनांक-13.06.2013, का संदर्भ किया जाय। इनके माध्यम से जिला पदाधिकारियों को विभिन्न उद्देश्यों से मुख्यालय छोड़ने के संबंध में अनुदेश निर्गत हैं।

2. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत जिला पदाधिकारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दी जाती है। संबंधित प्रयोजन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जाती है। माननीय पटना उच्च न्यायालय अथवा विधानमंडलीय कार्य एवं ऐसे अन्य कार्यों के निमित्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी मुख्य सचिव द्वारा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था से पत्राचार बढ़ने के साथ-साथ कार्यबोझ बढ़ता है और याचित अनुमति की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लम्बी हो जाती है फलस्वरूप, प्रायः आलोच्य अनुमति ससमय संसूचित नहीं हो पाती है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित प्रावधान/अनुदेश को संशोधित करते हुए निम्नांकित अनुदेश निर्गत किये जाते हैं :-

(क) (i) जिला पदाधिकारियों को निजी कार्यवश राज्य के अंदर भ्रमण/ यात्रा हेतु आकस्मिक तथा प्रतिबंधित अवकाश/ सार्वजनिक राजपत्रित एवं रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति/ स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दी जायेगी।

(ii)माननीय उच्च न्यायालय/विधानमंडलीय सत्रों में उपस्थिति एवं माननीय मुख्यमंत्री/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त और विभिन्न विभागों द्वारा आहूत राज्यस्तरीय बैठकों तथा सरकारी कार्य/ प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त ही प्रदान करेंगे।

(iii) संबंधित आदेशों में यह निश्चित रूप से अंकित रहेगा कि जिला पदाधिकारी की अनुपस्थिति की अवधि में उनके पद के दैनिक प्रभार में कौन पदाधिकारी रहेंगे। प्रमंडलीय

आयुक्त इस स्वीकृति/अनुमति की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को फैक्स और ई-मेल से अविलम्ब दे देंगे।

(iv) अवकाश /मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करते समय प्रमंडलीय आयुक्त विधि व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यो की अपरिहार्यता पर भी भलिभाँति विचार अवश्य कर लेंगे।

(v) राज्य से बाहर की यात्रा की स्वीकृति मुख्य सचिव तथा देश से बाहर की यात्रा आदि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान की जायेगी।

(4) आकस्मिक अवकाश से भिन्न (यथा- अर्जित/रूपांतरित/अर्द्धवैतनिक आदि) अवकाश की स्वीकृति तथा इस दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना संबंधित जिला पदाधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अन्यथा वह अनधिकृत अनुपस्थित मानी जायेगी एवं तद्नुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 डी0 एस0 गंगवार)

प्रधान सचिव

336

ज्ञापांक 1/अनु0-1041/2014 स्था0प्र0- दिनांक 7.1.15

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.1.15

(डॉ0 डी0 एस0 गंगवार)

प्रधान सचिव

स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/ अ0–1011/2014–सा0 प्र0– /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी पुलिस महानिरीक्षक।

पटना–15, दिनांक : अप्रैल, 2015

विषय :– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन समादेश याचिकाओं और उसे उदभूत पूनरावेदनों (अपीलों) में प्रतिशपथ पत्र हेतु जिला स्तर पर शपथ पत्रों के सत्यापन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–13292/2015 दिनांक–09.03.2015 द्वारा विषयगत संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय, नियमावली,1916 के अध्याय –3 के नियम–23 के परन्तुक के रूप में निम्नांकित प्रावधान जोड़ा गया है :–

Provided that the affidavits of counter affidavits that are to be filed in the writ petitions or appeals arising therefrom to be filed in the High Court, may be sworn and subscribed by the Government Officers before the Government Pleader or Public Prosecutor who are hereby appointed as Oath Commissioner or before any Advocate so appointed by the High Court, in the district in which the officer who deposes the affidavit or counter affidavit, is working, subject to any specific direction to the contrary.

2. विभागीय पत्रांक–7/विविध–14–03/2015–4580 सा0 प्र0 दिनांक–25.03.2015 द्वारा उपर्युक्त संशोधन से संबंधित बिहार गजट के असाधारण अंक दिनांक–09.03.2015 की छायाप्रति सभी जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों के बीच परिचारित है (छायाप्रति संलग्न)।

3. अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन समादेश याचिकाओं और उससे उदभूत पूनरावेदनों (अपीलों) में संशोधित आलोच्य प्रावधान के अनुसार प्रतिशपथ पत्रों का दायर किया जाना सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/ अ0–1011/2014––सा0प्र0– 5710 पटना–15,दिनांकः– 15 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः – प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक, को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/2015
सरकार के अवर सचिव ।

REGISTERED NO. PT.-40

सत्यमेव जयते

The Bihar Gazette

EXTRA ORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

18 FALGUNA 1936(S)
(NO.PATNA 348) PATNA, MONDAY, 9TH MARCH 2015

PATNA HIGH COURT

No. 13292/2015 *The 9th March 2015*

ADDENDA AND CORRIGENDA
TO
PATNA HIGH COURT RULES, 1916
(Fifth Edition)
C.S. No. – 144

In Chapter III of Patna High Court Rules, 1916 following may be added after Rule 23 as its proviso:

"Provided that the affidavits of counter affidavits that are to be filed in the writ petitions or appeals arising therefrom to be filed in the High Court, may be sworn and subscribed by the Government Officers before the Government Pleader or Public Prosecutor who are hereby appointed as Oath Commissioner or before any Advocate so appointed by the High Court, in the district in which the officer who deposes the affidavit or counter affidavit, is working" subject to any specific direction to the contrary.

By Order of the Court,
Sd./Illegible,
Registrar General.

File No. – Misc. 03-2015/A.D. (Rules)

PUBLISHED AND PRINTED BY THE SUPERINTENDENT,
BIHAR SECRETARIAT PRESS, PATNA.
Bihar Gazette (Extra) 348—571+100—Egazette
Website: http://egazette.bih.nic.in

16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना---राज्य की विधान परिषद् के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राज्यपाल [1]*** ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और संपृक्त सब [illegible] निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक [illegible] न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।]

भाग 4

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

19. परिभाषा---इस भाग में और 5 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "निर्वाचन क्षेत्र" से [2]*** संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या सभा निर्वाचन-क्षेत्र या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

[3][19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन---संविधान के, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के और इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, निर्वाचन आयोग के [illegible] आयुक्त द्वारा या निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी ऐसे साधारण या विशेष निदेश के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, पालन किया जा सकेगा ।]

[4][20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य---निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए हर एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सब निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।

[5][20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य---(1) मुख्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद और राज्य के विधान-मण्डल के सब निर्वाचनों के संचालन के संबंध में सब काम का समन्वय और [illegible] करेगा ।

(2) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।]

[6][20ख. प्रेक्षक---(1) निर्वाचन आयोग, एक प्रेक्षक का, जो सरकार का आफिसर होगा, किसी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाएं, नामनिर्देशन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशित प्रेक्षक को उस निर्वाचन-क्षेत्र के या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से किसी के, जिसके लिए उसे नामनिर्देशित किया गया है, रिटर्निंग आफिसर को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना रोक देने या परिणाम को घोषित न करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बहुत से मतदान केन्द्रों में अथवा मतदान के लिए नियत स्थानों में या मतों की गणना के लिए नियत स्थानों में बूथों का बलात् ग्रहण किया गया है या किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान में प्रयुक्त किन्हीं [illegible] रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल लिया गया है या दुर्घटनावश या साशय [illegible] है या खो दिया गया है या उस सीमा तक उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है या उनमें गड़बड़ की गई है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

(3) जहां किसी प्रेक्षक ने इस धारा के अधीन रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना रोकने या परिणाम की घोषणा न करने का निदेश दिया गया है, वहां प्रेक्षक, उस मामले की रिपोर्ट तुरन्त निर्वाचन आयोग को करेगा और [illegible] निर्वाचन आयोग, सभी तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, [illegible] 66 के अधीन समुचित निदेश देगा ।

---

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राजप्रमुख, यथास्थिति," शब्दों का लोप किया गया ।
[2] 1958 के अधिनियम सं० 103 की धारा 66 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 21 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
[4] 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा धारा 20 और धारा 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 22 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
[6] 1996 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (1-8-1996 से) अन्तःस्थापित ।